

‘वर्ल्ड बैंक की कुल “पेड अप” रकम 22 अरब डॉलर है’

पर, दूसरी ओर एलन मस्क को जो व्यक्तिगत “कम्पनसेशन” (वेतन आदि) मिला वह 46 अरब डॉलर था

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जुलाई। वैश्विक वित्तीय संरचना और आर्थिक विकास को फण्डिंग में सुपर रिच (अति धनाढ्य) लोगों पर कर लगाना, अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्शों में प्रमुख बनता जा रहा है।

बर्लिन के हैनरिश बल्शटिफर्टों द्वारा हाल ही में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय विचार-विमर्श में भारतीय प्रतिभागी एवं आर.बी.आई. के पूर्व गवर्नर राकेश मोहन ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि विश्व बैंक की प्रदत्त पूंजी जहां 22 बिलियन डॉलर है, वहीं एलन मस्क का पिछले वर्ष का मुआवजा ही 46 बिलियन डॉलर रहा।

एलन मस्क और दुनिया में उनके जैसे धनाढ्य लोगों के पास विश्व की सबसे मूल्यवान कम्पनियों के शेयरों के रूप में अकृत दौलत है। इन शेयरों की कीमतें जैसे-जैसे बढ़ती हैं, उनका मुनाफा बढ़ता है, लेकिन जब तक इनका वेतन कर मुनाफा चुक ना कर लिया जाए, इन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यह टैक्स सिस्टम के व्यवस्थापकों और सार्वजनिक वित्त के

- पर, चौंकाने वाला तथ्य यह है कि, एलन मस्क ने इस “कम्पनसेशन” पर जीरो डॉलर टैक्स दिया।
- यह अजीबो-गरीब स्थिति इसलिए है क्योंकि एलन मस्क को यह “कम्पनसेशन” स्टॉक (शेयर) के रूप में मिला है।
- और वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, जब तक मस्क अपने इस स्टॉक (शेयर) को बाजार में बेच कर, पैसे नहीं अर्जित करते, इस “कम्पनसेशन” पर टैक्स नहीं लग सकता।
- “सुपर रिच” (अति धनाढ्य), स्टॉक के रूप में “कम्पनसेशन” लेते हैं, पर, वो एक डॉलर भी टैक्स के रूप में नहीं देते।
- इन “सुपर रिच” की मुनाफे में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जैसे-जैसे उनके शेयरों की “वैल्यू” बढ़ती है। पर, इस वृद्धि पर उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। उनकी इस “आय” पर अब अर्धशास्त्रियों की निगाह है, क्योंकि अगर इसमें टैक्स लगे तो, इतना पैसा मिल सकता है कि, उससे विकासशील देशों को और पैसा उपलब्ध हो जायेगा, उनके अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स समय से पूरे हो सकेंगे।

विशेषज्ञों के साथ ही सरकारों के लिए एक अच्छा आकर्षण है। यदि विश्व बैंक की पूंजी में 10 बिलियन डॉलर जमा कर और बढ़ा दिया जाए तो उसकी उधार देने की क्षमता 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी, जिससे कम विकसित देशों के विकास को गति देने में विभिन्न बैंकों के लिए अधिक फण्ड्स उपलब्ध होंगे।

डॉ. मोहन ने कहा कि सुपर रिच लोगों पर 5 प्रतिशत तक का भी टैक्स लगाने से इतनी विशाल मात्रा में धनराशि आ जाएगी कि जिससे अत्यंत कम विकसित देशों के विकास में मदद मिल सकती है, लेकिन उन्होंने अपने इस प्रस्ताव की क्रियान्विती के मार्ग में आने वाली एक वास्तविक अड़चन को भी

रेखांकित किया।

मस्क का वेतन मुख्यतः स्टॉक ऑप्शन्स के रूप में होता है। एलन मस्क जब तक इस स्टॉक ऑप्शन को बेचकर अपना मुनाफा ना कमा लें, तब तक उनकी विशालकाय सम्पत्ति पर टैक्स लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांस्टेबल का 24 साल पुराना निलम्बन रद्द

जयपुर, 2 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए कांस्टेबल को राहत दी है। अदालत ने कांस्टेबल को बर्खास्त करने के झालावाड़ एसपी के 19 अक्टूबर, 2000 और उप गृह सचिव के 27 जनवरी, 2003 के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कांस्टेबल को समस्त काल्पनिक परिलाभों के साथ पुनः सेवा में लेने के आदेश देते हुए उसे सेवा में लेने को कहा है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि

- राजस्थान हाई कोर्ट ने हिरासत में हुई मौत के केस में सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए कांस्टेबल को राहत देकर उसकी बर्खास्तगी के 24 साल पुराने आदेश को रद्द कर उसे सभी सेवा लाभ देने के आदेश दिए।

कांस्टेबल को सुप्रीम कोर्ट से बरी होने की तिथि 27 अप्रैल, 2016 के बाद से अब तक की अवधि का वास्तविक परिलाभ अदा किया जाए। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपौठ ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. विभूति भूषण शर्मा ने बताया कि झालावाड़ के गंगधर थाने में वर्ष 1999 में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धार्मिक आयोजन में भगदड़ से 116 लोग मरे हाथरस में

अखिलेश यादव व अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे शर्मनाक व दुःखद घटना बताया

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जुलाई। हाथरस में एक ‘सत्संग’ के समापन अवसर पर हुई भगदड़ की घटना में लगभग 116 लोगों की दुःखद मृत्यु हो गई। भाजपा के लिए इससे अधिक अनुचित समय पर यह घटना नहीं हो सकती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टी को चुनावों में हुए भारी नुकसान के जखम अभी भरे नहीं हैं।

यह भगदड़ की दुर्घटना हाथरस के फुलराई गांव में हुई है। यहां पर भोले बाबा धार्मिक समागम आयोजित किया गया था। मरने वालों में महिलाएं एवं बच्चे ज्यादा हैं। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

समाजवादी पार्टी के पिछले शासनकाल के दौरान भी भगदड़ में मृत्यु होने की खबर है और ऐसी ही घटना अस्सी के दशक में कांग्रेस शासित सरकार में भी हुई थी। हालांकि, हाथरस की त्रासदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर गहरा दाग लगा दिया कि वे कुशल प्रशासन व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री से सोशल मीडिया पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या योगी सरकार “साकार हरि उर्फ भोले बाबा” के आश्रम को गिराने के

- विपक्षी नेताओं का कहना है कि, दुःख की बात है कि, इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की सरकार ने।
- सोशल मीडिया पर भी योगी आदित्यनाथ से सवाल किया जा रहा है कि क्या बुलडोजर बाबा, साकार हरि उर्फ भोले बाबा के आश्रम पर बुलडोजर चलाएंगे।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ में मरे लोगों के परिजनों को दो लाख रुपए और घायलों को 50,000 की सहायता स्वीकृत की। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को घटनास्थल का दौरा करेंगे।

लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करेगी, जहां पर समागम का आयोजन हुआ था? चरमदांवी ने बताया कि, कार्यक्रम स्थल पर जितनी जगह थी उससे कहीं ज्यादा लोग जमा थे। भगदड़ के बाद लोग एक-दूसरे के ऊपर से चढ़कर आगे बढ़ते चले गये। घटनास्थल पर कीचड़ जमा होने के कारण कई लाशें कीचड़ में दब गईं।

सूत्रों के अनुसार प्रचलन खलम होने के बाद भीड़ नारायण साकार हरि बाबा के पैर छूने के लिए बाबा की ओर दौड़ी और एक स्थान पर फिसलाने होने के कारण संतुलन बिगड़ जाने से लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गये।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुधवार को घटनास्थल का दौरा करेंगे हालांकि राज्य सरकार ने घटना में मारे गए लोगों के निकटतम रिश्तेदारों को मुआवजे के बतौर 2 लाख रुपये देने तथा घटना में घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। इसके बावजूद राजनेताओं ने प्रदेश प्रशासन की इस घटना को लेकर तीखी आलोचना की है कि वह इस घटना को रोकने में विफल साबित हुआ है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब सरकार को यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यपाल ने मु.मंत्री ममता बनर्जी पर मानहानि का केस दर्ज किया हाई कोर्ट में

मु.मंत्री का खेमा कुछ ढीला पड़ा मुकदमा दायर होने के बाद

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जुलाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.बी. आनन्द बोस ने आज एक अपभ्रूत कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया।

राज्यपाल ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री उनकी संबैधानिक सहयोगी हैं और इस संबंध को एक कानूनी दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने राज्यपाल को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों की हैं और राज्यपाल को मानहानि का केस दायर करने का पूरा अधिकार है। कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर मानहानि केस की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल घोष लगता है, बैंक फुट पर आ गए हैं। उन्होंने दबे लहजे में कहा कि शिकायतें पहले मुख्यमंत्री तक पहुंचीं और फिर उन्होंने उस संदर्भ में कुछ टिप्पणियां कर दीं।

ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि राज्यपाल से राजभवन

- तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि, ममता बनर्जी प्रदेश की गृह मंत्री भी हैं, और उनके पास एक महिला कर्मचारी की शिकायत आई थी, उसी शिकायत के संदर्भ में उन्होंने राजभवन में महिलाएं सुरक्षित न होने के बारे में टिप्पणी की थी।
- ढीला पड़ने से पहले तृणमूल के कार्यकर्ता व नेता बड़े आक्रामक हो रहे थे। राजभवन व राज्यपाल के आचरण के बारे में, व चटखारे लेकर, विस्तार से सुना रहे थे कि, कैसे राज्यपाल ने महिला कर्मचारी से यौन शोषण जैसा आचरण किया था।

जाकर मिलने का साहस उनमें नहीं है और यदि जरूरी हुआ तो उनसे खुले में मिलेंगी। उनके कहने का आशय यह था कि राजभवन के भीतर वे अपनी मान-मर्यादा को लेकर भयभीत हैं। उनकी टिप्पणी में इस प्रकार का संदर्भ भी था। राज्य पुलिस ने कहा कि उन्हें एक महिला श्रमिक से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि राजभवन परिसर में राज्यपाल के पैर छूने के बाद उसका पीछे से आलिंगन किया गया।

महिला की शिकायत थी कि राजभवन में राज्यपाल ने जब उससे यह

कहा कि वह उनसे आकर मिले, तो ऐसा करने पर उसकी गरिमा का हनन किया गया। एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जब वह वापस जाने लगी, तब राज्यपाल ने उसका आलिंगन किया। राज्य पुलिस ने उसके बाद राजभवन के कई अन्य स्टाफकर्मियों और कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। राज्यपाल ने इस प्रकरण में किसी भी तरह की जाँच और राजभवन के स्टाफकर्मियों से पूछताछ करने पर रोक लगा दी थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ए.सी.बी. ने हाई कोर्ट को बताया, मेयर मुनेश दोषी

जयपुर, 2 जुलाई। जयपुर शहर की हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर व उनके पति सुशील गुर्जर सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एसीबी ने अदालती आदेश की पालना में मंगलवार को हाईकोर्ट में तथ्यात्मक

- ए.सी.बी. ने हाई कोर्ट में मेयर मुनेश व उनके पति सुशील गुर्जर के भ्रष्टाचार के मामले की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। रिपोर्ट में प्रारंभिक जाँच में मेयर मुनेश, उनके पति व अन्य के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना गया है।

रिपोर्ट पेश की है, जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपौठ ने यह आदेश सुधांशु सिंह की आपराधिक याचिका पर दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल ने ओम बिड़ला को पत्र लिखकर निराशा जताई, जिस तरह से उनके भाषण को सदन की कार्यवाही से निकाला गया

राहुल गांधी ने यह भी लिखा पत्र में कि, लोकसभा की कार्यवाही के रूल 380 के तहत, स्पीकर को अधिकार है कि, किसी भी सांसद के भाषण को कार्यवाही से निकलवा सकते हैं, अगर भाषण आपत्तिजनक है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जुलाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखे एक पत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बात को लेकर चिन्ता प्रकट की है कि सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उनके द्वारा दिए गए भाषण में से कुछ महत्वपूर्ण अंशों को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।

इस कार्यवाही पर दुःख और निराशा प्रकट करते हुए गांधी ने कहा कि जिस तरीके से उनकी टिप्पणियों को अधिकारिक कार्यवाही से हटाया गया है उससे यह संकेत मिलता है कि इस तरह की कार्यवाही संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन होता है।

संसदीय परम्पराओं व प्रक्रियाओं

- राहुल गांधी ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि, उनके भाषण में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, अतः रूल 380 उन पर लागू नहीं होता।

उन्होंने यह भी लिखा कि, किसी सांसद के भाषण के सदन की कार्यवाही से निकालने से, संसद की प्रजातंत्रीय व्यवस्था पर आघात होता है तथा साथ ही सांसद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।

- राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि, रूल 380 को पक्षपाती तरीके से लागू किया गया है। अनुराग ठाकुर के भाषण में कई असत्य आरोप लगाये गये हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, पर, उनके भाषण का केवल एक शब्द कार्यवाही से निकाला गया, पर, उनके (राहुल गांधी के) भाषण का काफी बड़ा हिस्सा, लगभग आधे से ज्यादा, सदन की कार्यवाही से निकला गया।

के विषय विशेषज्ञों व वरिष्ठ जानकारों को इस बात से आश्चर्य हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के पहले दिन

से ही पक्षपात पूर्ण भूमिका निभा रहे है। इससे यह बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार विपक्ष के साथ जंग की

मुद्रा में है और वह विपक्ष के प्रति अपने अडिग रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं है परन्तु सदन के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे एक संयमित नियंत्रक की भूमिका को अदा करें तथा ईमानदारी से मध्यस्थता करें परन्तु बिड़ला इसके ठीक विपरीत आचरण कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता ने माना कि आसन को यह अधिकार है कि वह लोकसभा में कामकाज का संचालन व प्रक्रिया के नियम 380 के अनुसार कुछ टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटा सकते हैं, राहुल ने इस पर तर्क दिया कि उनके भाषण से हटाया गया अंश तथाकथित नियम का उल्लंघन नहीं करता है।

गांधी ने लिखा कि “मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भाषण का जो भाग विचारणीय था उसे निष्कासन की आड़ में कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया।”

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो हजार के 97.87 प्रतिशत नोट रिजर्व बैंक के पास वापस आए

नयी दिल्ली, 2 जुलाई (वार्ता)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि, 2000 रुपये के 97.87 प्रतिशत नोट उसके पास वापस आ गए हैं। ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

रिजर्व बैंक ने एक विज्ञापन में कहा कि 19 मई को कारोबार की समाप्ति पर

- रिजर्व बैंक ने एक विज्ञापन में कहा कि 19 मई को कारोबार की समाप्ति पर 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। अब 28 जून को कारोबार की समाप्ति कुल 7581 करोड़ रुपये के 2000 रुपये के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर में एयरोसिटी, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा

मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये

जयपुर, 2 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई मुद्दों पर फैसले लिए गए, जिनमें प्रदेश में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास, बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से नियमों में संशोधन और गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बेरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बेरवा ने बताया कि दानवताओं को सम्मानित करने एवं

- किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा में फ्लाईंग स्कूल खुलेंगे।
- अक्षय ऊर्जा के लिये भूमि आवंटन नियमों में संशोधन।
- गहलोत सरकार के गाँधी वाटिका अधिनियम को समाप्त करने के लिये विधेयक लाया जायेगा।

राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है जिससे सौर ऊर्जा तक राज्य सरकार की ओर से विद्युत क्षेत्र में करीब सवा दो लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए जा चुके हैं। अब इन संशोधनों से प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 2 लाख करोड़ के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि

राज्य में उपलब्ध सौर विकिरण का समुचित उपयोग करने हेतु आवंटन नियमों में प्रासंगिक बदलाव किया गया है जिससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन डीएलसी दर के 7.5 प्रतिशत पर किया जा सकेगा। साथ ही, अब 2 हैक्टेयर भूमि पर एक मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा उत्पादन हो सकेगा। कर्नल राठौड़ ने बताया कि प्रदेश

में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केन्द्रित है। इसके अंतर्गत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाईंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि, जयपुर में एयरोसिटी बनाई जाएगी, जिसमें होटल, रेस्त्रां सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा प्रारम्भ की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम

पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम-2023 को समाप्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 2023 में लाए गए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उपाध्यक्ष को असौमित्र वित्तीय शक्तियां दी गई थीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी दर्शन संग्रहालय का संचालन जारी रहेगा तथा अन्य विभागों के अधीन संचालित संग्रहालयों का संचालन संबंधित विभाग द्वारा ही किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन एवं प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु पुश्क गांधी वाटिका न्यास की आवश्यकता नहीं है।

6 आई.ए.एस. अफसरों का तबादला

जयपुर, 2 जुलाई (कास)। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के मुताबिक प्रवीण गुप्ता को मुख्य

- नवीन महाजन को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है तथा पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को पी.डब्ल्यू.डी. में भेज दिया गया है।

निर्वाचन अधिकारी के पद से हटाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) में प्रमुख शासन सचिव के पद पर लगाया है। संदीप वर्मा को पी.डब्ल्यू.डी. से हटाकर राजस्थान राज्य भंडारण निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का जिम्मा दिया गया है। नवीन महाजन को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)